राजाराम वनाम महेश
2021/25
निर्णय दिनांक : 20.03.2025

न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री गौरव बांकावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : राजस्व वाद संख्या/28/2021

1. राजाराम पुत्र जगदीश, जाति मीना, निवासी–ग्राम निवारिया, तहसील देवली, जिला टोंक, राजस्थान।

–वादी

बनाम

1. श्री महेश गुप्ता पुत्र वेदप्रकाश गुप्ता, शालीमार कॉम्पलेक्स, चर्च रोड, एम. आई.रोड, जयपुर।
2. श्रीमती अनोखी देवी पत्नी श्री बंशीधर सौंखिया, जाति महाजन, जरिये मैसर्स बल्लभ राम बंशीधर सर्राफ, 176 किशनपोल बाजार, जयपुर, निवासी–1275–75, मौहल्ला आचार्यो का रास्ता हवामहल, जयपुर।
3. रामफूल पुत्र गोपाल, जाति मीना, निवासी–45, गोपाल मीना की ढाणी सुमेल तहसील व जिला जयपुर।
4. राज्य सरकार, जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
5. श्रीमान् उप पंजीयक, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

6. जगदीश पुत्र जग्गा, जाति मीना, निवासी–निवारियां, तहसील देवली, जिला टोंक।
7. बाबूलाल पुत्र श्री जग्गा, जाति मीना, निवासी–निवारियां, तहसील देवली, जिला टोंक।
8. महावीर पुत्र श्री जगदीश, जाति मीना, निवासी–निवारियां, तहसील देवली, जिला टोंक।

–तरतीबी प्रतिवादी

दावा घोषणाधिकार एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय **दिनांक: 20.03.2025**

वादी की ओर से वादपत्र इस आशय के साथ पेश किया गया कि वादी अनुसूचित जन जाति का सदस्य जाति से मीना है ग्राम पालडी मीणा, पटवार हल्का लूणियावास, तहसील सांगानेर, हाल निवासी–निवारिया, तहसील देवली, जिला टोंक का मूल निवासी है काश्तकार पेशा व्यक्ति है काश्त कर अपने परिवार का पालन पोषण करता आ रहा है। ग्राम पालडी मीना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के गत खसरा नंबर 335 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा के

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

द्वारा प्रतिवादी नंबर 3 को बेचान किया जो प्रथमतः अनाधिकार स्वतंत्र होने के कारण प्रथमतः ही वादी के हितों के विपरीत शून्य हैं। प्रतिवादी नंबर 2 को भली भांति जानकारी थी कि विवादित आराजी जो नुमाइशी विक्रय पत्र द्वारा प्राप्त की गई है वह जनजाति सदस्य प्रतिवादी के दादा जग्गा मीना पुत्र हुरजा मीणा की है किसी प्रकार से उक्त आराजी पर न तो अधिकार व हक रहेगा और ना ही कब्जा प्राप्त किया जा सकता है ऐसी अवस्था में प्रतिवादी नंबर 3 जो जाति से मीना है को बेचान कर दिया एवं प्रतिफल अवैध अनाधिकार तौर पर प्राप्त कर लिया। प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा क्रय अनाधिकार प्रतिवादी नंबर 2 से किया गया है प्रतिवादी नंबर 2 को कोई अधिकार नहीं था ऐसी अवस्था में प्रतिवादी नंबर 3 का क्रय भी सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम 1982 के उपबन्धों से भी वादी के हितों के विरूद्व प्रभाव शून्य है। प्रतिवादी नंबर 3 ने दिनांक 07.01.2021 को वादी के कब्ज काश्त में दखलन्दाजी करने की कोशिश की गई एवं मौके पर उक्त विवादित आराजी पर दुकान का निर्माण करने बाबत् पत्थर ईट बजरी की ट्रॉली आदि डलवाई गई जब वादी ने कहा कि यह क्या डलवाये तो कहा कि यहां दुकानो का निर्माण करवाउंगा यह आराजी मेरी पैतृक आराजी है, लडाई–झगडा करने पर आमादा हो गया ग्राम के प्रमुख व्यक्तियों द्वारा समझाने पर प्रतिवादी नंबर 3 उक्त वक्त तो शान्त हो गया किन्तु जाते जाते एलानिया धमकी दिया कि वह विवादित आराजी पर जबरिया कब्जा कर लेगा, ऐसी अवस्था में दावा हाजा लाना आवश्यक हुआ हैं।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि दावा बहक वादी डिक्री फरमाया जाकर वादी आराजी खसरा नंबर 500, 501, 502, 503 वाकै ग्राम पालडी मीणा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर पर वादी को उसके हिस्से अनुसार हिस्सा 1/3 दर हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर डिक्री जारी की जावे तदानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल कराया जावें। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादी के कब्जा काश्त में मदाखलत पैदा नहीं करे व ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट से करावें वादी को शांति पूर्वक उपयोग व उपभोग करने देवें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण को जारी रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस एक माह पश्चात भी लौटकर नही आने पर तामील की प्रज्जमसन मानते हुए प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

ASSISTANT COLLECTOR ★ JAIPUR CITY JAIPUR ★

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली साक्ष्य हेतु नियत की गई। अधिवक्ता वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र राजाराम पुत्र जगदीश पेश किया गया शामिल मिसल कर मुख्य परिक्षण करवाया गया। पत्रावली वास्ते बहस वादपत्र नियत की गई।

अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस वादपत्र पर सुनी गई। अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत अवलोकन किया गया। वादी का अनुतोष की वादी अनुसूचित जन जाति का सदस्य जाति से मीना है ग्राम पालडी मीना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के गत खसरा नंबर 335 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा के खातेदार काश्तकार वादी के दादा जग्गाराम पुत्र हुरजा थे। थे। उनके द्वारा उक्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बुक नं.1, वोल्यूम नंबर 20, आईटम नंबर 361, पेज नंबर 239 से 240 पर किया हुआ है। दिनांक 04.08.1969 को पूर्व खातेदार नहनू पुत्र मन्ना जाति मीणा से क्रय की थी। जिसका विधिवत् नामान्तरकरण संख्या 49 दिनांक 10.02.1970 स्वीकार होने पर वादी के दादा बहैसियत खातेदार काबिज रह कर काश्त करते रहे है उनकी मृत्यु के पश्चात् वादी वर्तमान में काबिज काश्त है। वर्तमान बन्दोबस्त में उक्त गत खसरा नंबर 500 रकबा 0.51, 501 रकबा 0.01, 502 रकबा 0.05, 503 रकबा 0.42 हैक्टेयर कुल किता 4 रकबा 0.99 हैक्टेयर बनाये गये हैं। वादी के दादा अशिक्षित एवं ग्रामीण परिवेश व गरीब तबके के अनुसूचित जन जाति के सदस्य जाति से मीना थे। जिनकी बदहाली की दशा का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी नंबर 1 की माता सत्यवती के पति वेद प्रकाश द्वारा उन्हें षडयंत्र पूर्वक गुमराह कर जाति मीना से ईसाई धर्म में कागजी तौर पर परिवर्तन करा विवादित आराजी का बेचान अपनी पत्नी के नाम करवा लिया एवं उस बेचान के पश्चात् उक्त आराजी का बेचान प्रतिवादी–2 को कर दिया एवं प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा प्रतिवादी नंबर 3 को बेचान किया जो प्रथमतः अनाधिकार स्वतंत्र होने के कारण प्रथमतः ही वादी के हितों के विपरीत शून्य हैं। उक्त बेचान राजस्थान टिनन्सी एक्ट 1955 की धारा 42(बी) के तहत पूर्ण तौर पर प्रतिबन्धित है प्रथमतः ही नल एण्ड वाईड है जिसके द्वारा कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श–2 से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात को जग्गाराम पुत्र हुरजा जाति मीना ने नहनू पुत्र मन्ना से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.08.69 को क्रय की थी। प्रदर्श–4 नामांतकरण संख्या 49 से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात नहनू पुत्र मन्ना जाति मीणा से जग्गाराम पुत्र हुरजा के नाम नामांतकरण स्वीकार हुआ। प्रदर्श–5 से यह भी स्पष्ट है

ASSISTANT COLLECTOR JAIPUR CITY JAIPUR

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

कि जग्गा पुत्र श्री हुरजा उर्फ उरजा जाति ईसाई द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजीयात का बेचान श्रीमती सत्यवती धर्मपत्नी श्री वेदप्रकाश जाति वैश्य को किया गया। उक्त वादग्रस्त आराजीयात का मुख्त्यारनामा श्रीमती सत्यवती धर्मपत्नी श्री वेदप्रकाश गुप्ता द्वारा श्री वेदप्रकाश गुप्ता के हक में किया गया। और श्री वेदप्रकाश गुप्ता द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजीयात का बेचान श्रीमती अनोखी देवी पत्नी श्री बन्सीधर जी सोखिंया को किया गया। श्रीमती अनोखी देवी द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजीयात का बेचान श्री रामफूल मीणा को दिनांक 18.09.2013 को किया गया। प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत् 2074–2077 से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात वर्तमान में श्री रामफूल पुत्र श्री गोपाल के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रदर्श–3 मिलान क्षेत्रफल से जाहिर है कि वादग्रस्त आराजीयात साबिक खसरा नंबर 335 के हाल खसरा नंबर 500, 501, 502, 503 कुल किता 4 कुल रकबा 0.99 हैक्टेयर बनाये गये है। हस्तगत वाद में किसी भी निर्णय तक पहुंचने हेतु कुछ विचारणीय बिन्दुओं का विश्लेषण आवश्यक है।

ये बिन्दू निम्नानुसार है :–

(क) क्या वादग्रस्त आराजीयात वादी के दादा जग्गाराम पुत्र हुरजा की पैतृक सम्पत्ति थी या स्वः अर्जित?

(ख) यदि वादग्रस्त आराजीयात वादी के दादा की स्व अर्जित सम्पत्ति थी तो क्या उसने इसका विक्रय अपने जीवनकाल में कर दिया था?

(ग) यदि प्रश्न सं. (ख) का उत्तर हाँ है, तो क्या वादी के दादा ने अपने जीवनकाल में उक्त विक्रय को किसी भी न्यायालय या सक्षम राजकीय संस्था के समक्ष चुनौती दी?

(घ) क्या वादी के दादा जग्गाराम के दोनों पुत्रों जगदीश व बाबूलाल अर्थात् वादी के पिता व चाचा ने इस विक्रय को किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी?

(ड़) क्या वादी के दादा जग्गाराम ने ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन किया था?

पत्रावली पर उपलब्ध इस्तावेजों एवं अधिवक्ता वादी के साक्ष्य एवं बहस पर समग्रता से अवलोकन करने पर उक्त विचारणीय बिन्दु निम्न प्रकार से स्पष्ट होते हैं :–

(क) वादी द्वारा अपने वाद पत्र में किए गए अंकन एवं प्रदर्श–2 से स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि वादग्रस्त आराजीयात को वादी के दादा जग्गाराम पुत्र हुरजा जाति मीना ने नहनू पुत्र मन्ना से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.08.

ASSISTANT COLLECTOR JAIPUR CITY JAIPUR

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

1969 को क्रय की थी। अतः वादग्रस्त आराजीयात वादी के दादा जग्गाराम की स्वः अर्जित सम्पत्ति थी न कि पैतृक सम्पत्ति।

(ख) वादपत्र के अंकन एवम् प्रदर्श–5 से स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि वादी के दादा जग्गाराम ने अपनी स्वअर्जित सम्पत्ति वादग्रस्त आराजीयात को स्वयं ने अपने जीवनकाल में ही श्रीमती सत्यवती धर्मपत्नी श्री वेदप्रकाश जाति वैश्य को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 11.06.1970 को विक्रय कर दिया था।

(ग) वादग्रस्त आराजीयात के बेचान के उपरान्त भी वादी के दादा जग्गाराम लम्बे समय तक जीवित रहे किन्तु उसने कभी भी अपने द्वारा श्रीमती सत्यवती को किए गए बेचान को किसी भी न्यायालय या सक्षम राजकीय संस्था के समक्ष चुनौती नहीं दी।

(घ) वादग्रस्त आराजीयात को लेकर वादी के दादा जग्गाराम के दोनों पुत्रों जगदीश व बाबूलाल अर्थात् वादी के पिता व चाचा द्वारा उक्त विक्रय को कही चुनौती दी गई हो इस बाबत् किसी प्रकार का प्रमाण/दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

(ड़) स्वयं वादी ने अपने वादपत्र में स्पष्ट अंकन किया है कि वादी के दादा जग्गाराम ने ईसाई धर्म में कागजी तौर पर धर्म परिवर्तन किया था। साथ ही प्रदर्श–5 में भी जग्गाराम की जाति ईसाई ही अंकित है। अतः इसमें कोई संदेह नहीं है कि वादी के दादा जग्गाराम ने ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन किया था।

इस प्रकार उक्त समस्त विचारणीय बिन्दुओं के विश्लेषण से यह तथ्य स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि :–

"वादग्रस्त आराजीयात वादी के दादा की स्वअर्जित सम्पत्ति थी जिसका बेचान वादी के दादा ने स्वयं अपने जीवनकाल में एक ईसाई के तौर पर श्रीमती सत्यवती धर्मपत्नी वेदप्रकाश को कर दिया था एवं इस विक्रय को जग्गाराम या इसके पुत्रों द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी गई थी।"

वादग्रस्त आराजीयात को वादी के दादा जग्गाराम द्वारा श्रीमती सत्यवती पत्नी श्री वेदप्रकाश को बेचे जाने के उपरान्त भी इसका अन्य 2 बार जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान हो चुका है।

1. सत्यवती द्वारा अनोखी देवी को दिनांक 30.10.79 को
2. अनोखी देवी द्वारा रामफूल मीणा को दिनांक 18.09.2013 को

ASSISTANT COLLECTOR II JAIPUR CITY JAIPUR

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

इस प्रकार स्पष्ट है कि अंतिम विक्रय भी 2013 में किया गया था एवं इसे भी कभी भी वादी द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी गई।

पत्रावली के समग्र अवलोकन के उपरान्त न्यायालय का यह स्पष्ट एवं सुविचारित अभिमत है कि वादी का वादग्रस्त आराजीयात में अब कोई अधिकार निहित नहीं हैं। यद्यपि वादी के दादा द्वारा श्रीमती सत्यवती को एक ईसाई के तौर पर किया गया बेचान प्रश्न उत्पन्न करता है परन्तु इस विक्रय को वादी के दादा जग्गाराम द्वारा कभी चुनौती न दिया जाना काफी सीमा तक इस प्रश्न का उत्तर दे देता है। भूमि का बेचान भी 2 बार और हो चुका है जिन्हें भी कभी चुनौती नहीं दी गई। वर्तमान में भूमि का खातेदार रामफूल मीणा पुत्र गोपाल है जो स्वयं अनुसूचित जनजाति का सदस्य है एवं सद्भावी क्रेता है।

उक्त समस्त तथ्यों के प्रकाश में वादी का वाद अपोषणीय होने से खारिज़ किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20.03.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय)** मुकाम **जयपुर** ब इजलास **गौरव बांकावत** (आर.ए.एस.)

राजाराम **बनाम** महेश वगै.

दावा घोषणाधिकार एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर – दावा/2021/28

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री गौरव बांकावत व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू ..... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

समस्त तथ्यों के प्रकाश में वादी का वाद अपोषणीय होने से खारिज़ किया जाता है।

ASSISTANT COLLECTOR II ★ JAIPUR CITY JAIPUR ★

निज ..... मुबलिग ..... बाबत् .....
खर्चा इस मुकद्दमें में मय सूद बशरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..... का अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20.03.2025 को जारी की गई।
मुहर

दस्तखत .....
ओहदा .....

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत् इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान		00	मीजान		

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner